न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :— 02/2021

संतकुमार जोशी उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जोशी, जाति ब्राहम्ण निवासी टांई जिला झुन्झुनूं।
— निगरानीकार

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये सरपंच व ग्रामसेवक ग्राम पंचायत टांई, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
2. देवकीनंदन पुत्र मदनलाल जोशी, जाति ब्राहम्मण निवासी टांई, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत टांई बाबत पट्टा सं0 96 दिनांक 13.07.2017 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितिः—

1. श्री जाफर अली, एडवोकेट ————— — —————निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र कुमावत, एडवोकेट ——————————गैर निगरानीकार की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 17.08.2021

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध जारी करने पट्टा संख्या 96 दिनांक 17.08.2021 ग्राम पंचायत टांई के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि— ग्राम पंचायत टांई ने जो पटटा संख्या 96 दिनांक 13.07.2017 जारी किया है, वह अवैध है जो खारिज होने योग्य है। यह कि विवादग्रस्त पटटेशुदा जमीन में सन्तकुमार व देवकीनन्दन दोनों भईयों की जमीन शामलाती में पैत्रिक थी जिसमें निगरानीकार कलकता रहने के कारण देवकीनन्दन के दोनों भाइयों का मकान सीर में बना लिया था। संत कुमार व देवकीनंदन के मकानों के बीच में शामलाती चौक छोड़ दिया था जिस पर दोनों भाईयों का शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। निगरानीकार कलकता में नौकरी करता था, नौकरी छोड़ने के बाद निगरानीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:43:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अपने मकान में रहने लग गया, इस बात से देवकीनंदन नाराज रहने लगा । ग्राम पंचायत ने बिना मौका की जांच किये ही पटटा जारी कर दिया, जो खारिज होने योग्य है। विवादग्रस्त मकान का जो पट्टा दिया गया है, उस मकान की सीमा व नपति के अनुसार 47 X 58.75 वर्ग फुट पर है जबकि पटटा 50X50 वर्ग फुट का बना दिया है। पट्टे में 3 फुट आम रास्ते की भूमि का पटटा बना दिया है जिस रास्ते में ग्रम पंचायत द्वारा सड़क बनाई हुई है। ग्राम पंचायत ने देवकीनंदन के पटटा में संतकुमार का दो कमरे भी शामिल कर दिय है । पटटे में पश्चिम की तरफ मोहन लाल सर्राफ बताया है जबकि मौक पर संतकुमार का मकान उसके बाद खाली जमीन व उसके बाद कैलाशचंद्र जोशी का मकान उसके बाद मोहनलाल सर्राफ का मकान है। पट्टे के नक्शे के अनुसार ना तो नपती सही है व ना सीमा सही है। इस कारण भी पटटा खारिज होने योग्य है। अतः निगरानीकार की ओर से निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टांई द्वारा जारी पट्टा सं0 096 दिनांक 13.07.2017 खारिज किया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। गैर निगरानीकार ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत टांई ने गैर निगरानी संख्या 2 को पट्टा संख्या 096 दिनांक 13.072017 को ग्राम पंचायत बैठक में प्रस्ताव लेकर विधि प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया है, जो सही व सत्य है। उक्त पटटाशुदा भूखण्ड गैर निगरानीकार संख्या 2 ने दिनांक 23.09.1949 को ठिकाना टांई पंचपाना के द्वारा श्रीमती मणीदेवी को जमीन 105 हाथ उतरादी, 130 हाथ आथूनी जमीन 145/– रूपये में खरीदकर टांई पंचनामा के द्वारा पट्टा जारी किया गया था। इसी जमीन का गैर निगरानीकार संख्या 2 ने अपने हक व हिस्से की जमीन का पट्टा जारी करवाया है तथा उक्त पटटा का उप पंजीयन कार्यालय बिसाऊ से रजिस्ट्रेश भी करवाया जा चुका है। पट्टेशुदा जमीन में संतकुमार का कोई हक हिस्सा नहीं है। उक्त पट्टा आबादी भूमि का है तथा पूर्व से भी ठिकाना टांई द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। जवाब निगरानी पेशकर निगरानीकार की निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

निगरानी पेश होने पर ग्राम ... तलब की गई। मिसल ग्राम पंचायत प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता ... सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:43:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– ग्राम पंचायत टांई ने जो पटटा संख्या 96 दिनांक 13.07.2017 जारी किया है, वह अवैध है जो खारिज होने योग्य है। यह कि विवादग्रस्त पटटेशुदा जमीन में सन्तकुमार व देवकीनन्दन दोनों भईयों की जमीन शामलाती में पैत्रिक थी जिसमें निगरानीकार कलकता रहने के कारण देवकीनन्दन के दोनों भाइयों का मकान सीर में बना लिया था । संत कुमार व देवकीनंदन के मकानों के बीच में शामलाती चौक छोड दिया था जिस पर दोनों भाईयों का शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। निगरानीकार कलकता में नौकरी करता था। नौकरी छोड ने के बाद निगरानीकार अपने मकान में रहने लग गया, इस बात से देवकीनंदन नाराज रहने लगा । ग्राम पंचायत ने बिना मौका की जांच किये ही पटटा जारी कर दिया, जो खारिज होने योग्य है। विवादग्रस्त मकान का जो पट्टा दिया गया है, उस मकान की सीमा व नपति के अनुसार 47 X 58.75 वर्ग फुट पर है जबकि पटटा 50X50 वर्ग फुट का बना दिया है। पट्टे में 3 फुट आम रास्ते की भूमि का पटटा बना दिया है जिस रास्ते में ग्राम पंचायत द्वारा सड़क बनाई हुई है। ग्राम पंचायत ने देवकीनंदन के पटटा में संतकुमार का दो कमरे भी शामिल कर दिये है । पटटे में पश्चिम की तरफ मोहन लाल सर्राफ बताया है जबकि मौक पर संतकुमार का मकान उसके बाद खाली जमीन व उसके बाद कैलाशचंद्र जोशी का मकान उसके बाद मोहनलाल सर्राफ का मकान है। पट्टे के नक्शे के अनुसार ना तो नपती सही है व ना सीमा सही है। इस कारण भी पटटा खारिज होने योग्य है। अतः निगरानीकार की ओर से निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टांई द्वारा जारी पट्टा सं0 096 दिनांक 13.07.2017 खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। पट्टेशुदा भूमि में निगरानीकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। निगरानी मनगढंत व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली का अवलोकन [illegible] पाया गया कि सारी पत्रावली में छप्पे–छपाये प्रोफार्मा भरकर खाना पूर्ति की गई है। छपा–छपा[illegible] [illegible]दर्शिका भरी गई है। पट्टा प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:43:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

करने के लिए प्रार्थी देवकीनंदन द्वारा जो आवेदन किया गया है, उसमें कोई सीमाओं का अंकन नहीं है। ना भूखण्ड का उल्लेख है और प्रार्थना पत्र में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है वह कितने वर्षों से रिहायशी मकान में रह रहा है। पट्टा पत्रावली में लगे किसी भी दस्तावेजात पर कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है कि किस तारीख का जारी हुआ है।सारी कार्यवाही बैठकर एकसाथ की जाना प्रतीत होती है। इस प्रकरण में शिकायत होने पर पूर्व में पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद झुंझुनू एवं अधिशाषी अभियंता जिला परिषद् झुंझुनू द्वारा भी हस्तगत पट्टे के संबंध में जांच की गई है। जिनकी रिपोर्ट के अनुसार भी जिस भवन का पट्टा जारी किया गया है वह चार भाइयों की पैत्रिक सम्पति है एवं मालिकाना हक को लेकर विवाद होना बताया है तथा मौके पर नाप एवं पट्टे में अंकित सीमाओं में अंतर है। इसके अतिरिक्त सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत टांई ने भी लिखित में पेश किया है कि जमीन पर दोनों भाइयों का कब्जा है । पटटा गलत होना एवं खारिज करने योग्य बताया गया है। पट्टा नियम 157 के अन्तर्गत जारी किया गया है। प्रार्थी के आवेदन पत्र में कहीं भी अंकित नहीं है कि वह कब से इस भूखण्ड पर काबिज है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण में देवकीनंदन पुत्र मदनलाल जोशी के नाम से जारी पट्टा संख्या 096 दिनांक 13.07.2017 निरस्त किया जाता है । अगर मकान पैत्रिक है तो सभी विधिक उतराधिकारी आपसी सहमति से अपने अपने हक हिस्से का ग्राम पंचायत से पट्टा बनवाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

17.08.21

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.08.21

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:43:23 IST
Reason: SelfAttested